<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं04, एटा.</u>

उपस्थितः श्री **रमेश**, ...एच.जे.एस.

S.T. N0: 242/2016

(CNR N0: UPET01-004977-2016)

उत्तर प्रदेश राज्य .....**<u>अभियोजन पक्ष</u>**.

प्रति

1. क्षेत्रपाल पुत्र होतीलाल (दौरान विचारण मृत)
2. नेमसिंह पुत्र होतीलाल । समस्त नि0गण–ग्राम धौलेश्वर
3. जयवीर पुत्र सुनहरीलाल । थाना निधौलीकलॉ जिला
4. किशनवीर पुत्र रामखिलाड़ी । एटा.
5 बृजराज पुत्र ओमप्रकाश । .....<u>अभियुक्तगण</u>.

धाराः 147,148,307 / 149,323 / 149,
324 / 149,504,506भा0दं0सं0
थानाः निधौलीकलॉ, ज़िलाः एटा.
<u>अ.सं.: 119 / 2015</u>.

<u>नि र्ण य</u>

पुलिस थाना निधौलीकलॉ ज़िला एटा द्वारा अभियुक्तगण **क्षेत्रपाल** (दौरान विचारण मृत), **नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर** तथा **बृजराज** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 119 / 2015 अंतर्गत धारा 147,148,149,307,323,324, 504,506 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अवर न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 13.07.2016 के द्वारा प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया, जहॉ से यह प्रकरण विचारण हेतु अन्तरण द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अभियुक्तगण का विचारण उक्त आरोप हेतु

किया गया।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जयकुमार पुत्र रामप्रसाद ने घटना की तहरीरी रिपोर्ट दिनांकित 23.06.15 अपने ही गॉव धौलेश्वर के मुनीश कुमार पुत्र जयकुमार से लिखवाकर थानाध्यक्ष थाना निधौलीकलॉ को दी कि दिनांक 13.06.2015 से गॉव वाले एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से श्रीमद भागसवत की कथा करायी थी, जिसका समापन 19.06.15 को हुआ तथा 20.06.15 को भण्डारा हुआ। उक्त कार्यक्रम में नेमसिंह व उनके परिवारीजनों को कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिली थी, इसलिए वे लोग इसे अपनी तौहीन समझकर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। यह कार्यक्रम महादेव मंदिर पर हुआ था, दिनांक **22.06.2015** को **प्रातः करीब 09:00 बजे** वादी मुकदमा तथा विकास, प्रमोद कुमार, नेमसिंह, प्रवेश कुमार, दिनेश, सतीश, राजनसिंह व अन्य ग्रामवासी महादेव मंदिर पर भण्डारा स्थल की सफाई कर रहे थे, तभी क्षेत्रपाल, नेमसिंह, उमेश उर्फ बिल्लू, कौशल, दुलारी, जयवीर, किशनवीर उर्फ लल्लू, प्रियांशू, बृजराज, करूआ, मौहरपाल व राकेश उर्फ रग्गू एक राय मश्विरा होकर महादेव मंदिर पर आ गये, इनमें से मौहरपाल पर देशी रायफल व राकेश उर्फ रग्गू क्षेत्रपाल व कौशल पर तंमचे थे, आते ही इन लोगों ने गाली गलौज करते हए फायरिंग शुरू कर दी, मौहरपाल द्वारा चलाई गयी गोली प्रमोद कुमार के हाथ की उॅगली में होते हुए पार हो गयी तथा दूसरी गोली टॉग में लगी, जिससे वह गंभीर रूप सेघायल हो गया व जयकुमार को भी गोली कीचोटे आयी तथा अन्य लोगों ने फरसा, बका, कुल्हाडी, व लाठी डण्डों से जान से मारने के लिए हमलावर होकर चोटे पहुॅचायी, जिससे विकास, राजन सिंह, प्रमोद कुमार, प्रवेश कुमार, दिनेश, सतीश को चोटे आयी। उसी समय गॉव के कोकाराम, कायम सिंह, कमलेश, धीरी सिंह, भूपकिशोर आदि

लोग आ गये तथा वादीगण को मुल्जिमान से बचाया, तब मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थी/वादी थाना आने की स्थिति में नहीं था, इसलिए तहरीर आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 23.06.15 को थाने पर भिजवाई।

3. अभियोगी की लिखित सूचना के आधार पर अभियुक्तगण क्षेत्रपाल, नेमसिंह, उमेश उर्फ बिल्लू, कौशल, दुलारी, जयवीर, किशनवीर उर्फ लल्लू, प्रियांशू, ब्रजराज, करूआ, मौहरपाल तथा राकेश उर्फ रग्गू के विरूद्ध थाना निधौलीकलॉ पर दिनांक 25.06.2015 को मु0अ0सं0 119/2015 पर धारा 147,148,149,307,323,324,504,506 भा0दं0सं0 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराध का खुलासा जी0डी0 कायमी मुकदमा की रपट सं0 22 समय 11:15 बजे पर किया गया तथा मामले की विवेचना एस.आई. गजेन्द्र सिंह के सुपुर्द की गयी।

4. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्षीगण के बयानात अंकित किये, चोटहिल के चिकित्सीय परीक्षण कराया, वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल करके नक्शा नजरी तैयार किया तथा तमामी विवेचना के आधार केवल अभियुक्तगण क्षेत्रपाल, नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर उर्फ लल्लू तथा ब्रजराज के विरूद्ध उक्त धारा 147,148,149,307,323,324,504,506 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. अवर न्यायालय द्वारा आवश्यक जाचोपरांत मामले का प्रंसज्ञान लिया गया तथा मामले को सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए अपने आदेश दिनांकित 13.07.2016 के द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया, जहॉ से यह

मामला अन्तरण द्वारा विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6. विचारण न्यायालय में अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर दिनांक 29.06.2015 को अभियुक्तगण क्षेत्रपाल, नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर उर्फ कल्लू व बृजराज के विरूद्ध धारा 147,148,307 / 149,323 / 149,324 / 149,504 एंव 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण ने अस्वीकार किया एवं विचारण की मॉग की।

7. दौरान विचारण अभियुक्त क्षेत्रपाल की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 18.12.2018 के द्वारा मामला उपशमित (अवेट) किया गया।

8. अभियोजन की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए पी0डब्लू01 जय कुमार (वादी मुकदमा), पी0डब्लू02 कमलेश, पी0डब्लू03 दिनेश कुमार, पी0डब्लू04 सतीश, पी0डब्लू05 प्रमोद, पी0डब्लू06 प्रवेश, पी0डब्लू07 विकास, पी0डब्लू08 कैलाश, पी0डब्लू09 डा0 एन0 एस0 तौमर तथा पी0डब्लू010 कॉ0 दिनेश कुमार (पेरोकार निधौलीकलॉ) को परीक्षित कराया।

9. अभियुक्तगण की ओर से विवेचक से संबंधित अभियोजन प्रपत्रों यथा नक्शा नजरी व आरोप पत्र की मौलिकता धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर लिये जाने के कारण अभियोजन द्वारा विवेचक को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया।

10. अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर

मुकदमा **प्रदर्श क–1**, इंजरी रिपोर्ट्स **प्रदर्श क–2 ता प्रदर्श क–9**, चिक रिपोर्ट **प्रदर्श क–10** तथा जी0डी0 मुकदमा कायमी **प्रदर्श क–11,** नक्शा नजरी घटनास्थल **प्रदर्श क–12,** तथा आरोप पत्र **प्रदर्श क–13** प्रस्तुत किये गये हैं।

11. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत होना कहा है तथा कहा कि उन्हें गॉव की पार्टी बन्दी के कारण झूॅठा फॅसाया गया है, वे निर्दोष हैं तथा सफाई साक्ष्य दिये जानें से इंकार किया है।

12. मैनें अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता :दाण्डिकः के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किया।

13. ***पी0डब्लू08 कैलाश,*** जो प्रकरण का चश्मदीद गवाह है, ने अपनी मुख्य पृच्छा में अभियोजन केस का समर्थन किया है।

14. ***पी0डब्लू01 जय कुमार, पी0डब्लू02 कमलेश, पी0डब्लू03 दिनेश, पी0डब्लू04 सतीश उर्फ त्रिलोकीनाथ, पी0डब्लू05 प्रमोद, पी0डब्लू06 प्रवेश तथा पी0डब्लू07 विकास,*** जो कथित घटना में आहत भी हैं, ने अपनी मुख्य पृच्छा में अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है और इन सभी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

15. अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है, उनका तर्क है कि तथ्य के सभी आठों साक्षीगण को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कराया है, जिन्होने अभियोजन केस का कतई समर्थन नहीं किया है तथा पी0डब्लू09 डा0 एन0 एस0 तौमर तथा पी0डब्लू010 पैरोकार है, जो औपचारिक साक्षीगण है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन की ओर से कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित होना माना जा सके, तदनुसार अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किया जाय।

16. अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि यह बातसही है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त तथ्य के गवाहान पक्षद्रोही हो गये है, परन्तु पी0डब्लू08 कैलाश ने अपनी मुख्य पृच्छा में इस बात को कहा है कि अभियुक्तगण मौके पर थे, इसके अलावा मामले की समस्त परिस्थितियों से यही साबित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा लगता है कि बाहरी तौर पर वादी पक्ष व अभियुक्तगण के मध्य तस्फिया हो जाने के कारण गवाहान जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाकर अभियोजन केस का समर्थन नहीं कर रहे है। परन्तु पत्रावली पर अभियोजन प्रपत्रों से अभियोजन केस अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित है तथा अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में ऐसी कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण को केवल रंजिश के आधार पर झूॅठा फॅसाया गया है।

17. अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किया। अभियोजन की ओर अपने केस को साबित करने के लिए कुल 10 साक्षी परीक्षित कराये है, जिनमें से 08 घटना के तथ्य के गवाहान है। इनमें **पी0डब्ल01 जय कुमार**, जो कि इस प्रकरण का **वादी मुकदमा होने के साथ घटना में आहत भी है**, परन्तु इसने अपनी मुख्य पृच्छा में तहरीर रिपोर्ट **प्रदर्श क–1** में वर्णित तथ्यों के संबंध में अपनी मुख्य पृच्छा में सशपथ बयान दिया है कि ''***दिनांक 22.06.2015 की सुबह नौ बजे करीब मैं व गॉव के कुछ लोग मंदिर की सफाई कर रहे थे, तभी गॉव के कुछ अज्ञात लोगों में झगडा हुआ था, यह झगडा मंदिर के पास हुआ था, अज्ञात भीड दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के पर ईट पत्थर फेक कर तथा लाठी डण्डा मारकर चोटे पहुॅचा रहे थे, अज्ञात भीड के व्यक्तियों ने किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायर भी किये थे, फायर की चोट मेरे दाहिने सामने सीने पर बाजू के पास और प्रमोद की टॉग में गोली लगी थी***।'' इस प्रकार वादी मुकदमा की उपरोक्त साक्ष्य के सापेक्ष घटना के समय अज्ञात लोगों में आपस में झगडा हुआ था और उनमें से ही किसी के द्वारा किये गये फायर की चोट इसको आयी थी। वादी मुकदमा ने आगे जिरह में स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि ''***इस घटना की तहरीर गॉव धौलेश्वर के मुनीश कुमार से लिखवाकर गॉव के राजनैतिक व्यक्तियों ने अभियुक्तगण क्षेत्रपाल, नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर, बृजराज के विरूद्ध बेहोशी की हालत में मेरे हस्ताक्षर बनवाकर थाना निधौलीकलॉ में दे दी थी।***'' इस प्रकार वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण को घटना में नामित किये जाने के संबंध में भी स्पष्ट किया है कि वह चोटों के कारण बेहोश था, गॉव के लोगों ने अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाकर उसके हस्ताक्षकर कराकर थाने पर दे दी थी। इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य के कारण अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर इस साक्षी से

अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया। जिरह में इस साक्षी ने विवेचक को दिये गये बयान से स्पष्ट इंकार किया। अभियोजन पक्ष इस साक्षी से जिरह के दौरान कोई ऐसा तथ्य भी प्रकाश में नहीं ला सकी, जिससे अभियोजन केस को किसी प्रकार की कोई मदद मिलना जाहिर होती हो।

18. **पी0डब्लू02 कमलेश** ने अपनी मुख्य पृच्छा में अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया तथा कथन किया है कि ''***दिनांक 22.06.2015 को सुबह नौ बजे करीब गॉव के अज्ञात लोगों में झगडा हो गया था, अज्ञात भीड के दोनों गुट के लोग एक दूसरे को गाली गलोज कर, लाठी डण्डों से ईट पत्थर से मारपीट कर रहे थे, फायरों की आवाज मैनें सुनी थी और मैं मौके पर पहुॅच गया था, बीच बचाव के चक्कर में मेरे सीधे हाथ में किसी अज्ञात व्यक्ति की लाठी लग गयी थी, जिससे चोट आ गयी, मारपीट करने वालों में क्षेत्रपाल, नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर व बृजराज नहीं थे।***''

19. इसी प्रकार **पी0डब्लू03 दिनेश कुमार** ने अपनी मुख्य पृच्छा में अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया तथा कथन किया है कि ''***दिनांक 22.06.2015 को सुबह नौ बजे करीब गॉव के मंदिर के पास अज्ञात लोगों में झगडा हो गया था, मैनें बीच बचाव कराया था, इसी दौरान लाठी की चोट मेरे सिर में आयी थी। चोटे पहुॅचाने वालों में क्षेत्रपाल, नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर व बृजराज नहीं थे।***''

20. इसी प्रकार **पी0डब्लू04 सतीश पुत्र त्रिलोकीनाथ** ने अपनी मुख्य पृच्छा में अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया तथा कथन किया है कि ''***दिनांक 22.06.2015 को सुबह नौ बजे मंदिर पर कुछ अज्ञात लोगों में झगडा हो गया था, मैनें बीच बचाव कराया था, इसी दौरान लाठी डण्डों की***

चोट मेरे हाथ व सिर में लग गयी थी। चोटे पहुॅचाने वालों में क्षेत्रपाल, नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर व बृजराज नहीं थे।''

21. इसी प्रकार **पी0डब्लू05 प्रमोद** ने भी अपनी मुख्य पृच्छा में अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया, तथा कथन किया है कि *''दिनांक 22.06.2015 को सुबह नौ बजे गॉव के अज्ञात लोगों में झगडा हो गया था और झगडे का शोर सुनकर मैं भी मौके पर पहुॅच गया था, वहॉ काफी भीड इक्ठठा हो गयी थी, तभी किसी ने फायर कर दिया, जिसकी चोट मेरे भी लग गयी, मैनैं फायर करने वालो को नहीं देखा था, हाजिर अदालत मुल्जिमान ने मेरे फायर नहीं किया था और ना गाली गलोज दी और ना मारपीट की न ही मुझे जान से मारने की धमकी दी।''*

22. इसी प्रकार **पी0डब्लू06 प्रवेश** ने भी अपनी मुख्य पृच्छा में अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया, तथा कथन किया है कि *''दिनांक 22.06.2015 को सुबह नौ बजे गॉव में भागवत का भण्डारा चल रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोगों में झगडा हो गया और मैं झगड़ा देखने पहुॅच गया, उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायर कर दिया, जिससे मौके पर भगदड मच गयी और मैं उस भगदड में गिर पड़ा, जिससे मेरे चोटे आयी, मुझे हाजिर अदालत मुल्जिमान द्वारा न पीटा गया न गाली गलोज की गयी।''*

23. इसी प्रकार **पी0डब्लू07 विकास** ने भी अपनी मुख्य पृच्छा में अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया, तथा कथन किया है कि *''दिनांक 22.06.2015 को सुबह नौ बजे गॉव में भागवत का भण्डारा चल रहा था और काफी भीड थी और मैं भी भण्डारे में दावत खाने गया था, तभी अज्ञात लोगों में कुछ कहा सुनी हो गयी थी, उसी समय किसी अज्ञात व्यक्तियों ने*

फायर कर दिया, जिससे मौके पर भगदड मच गयी और मैं भी उस भगदड में गिर गया, जिससे मुझे चोट आ गयी थी, मुझे हाजिर अदालत मुल्जिमान ने मेरी मार पीट नहीं की ना ही इन लोगों ने मेरे उपर फायर किया था।''

24. इस प्रकार इन सभी अभियोजन साक्षीगण को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया जाकर इन साक्षीगण से अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अभियोजन की ओर से की गयी जिरह में इन सभी गवाहान ने विवेचक को दिये गये बयानात से स्पष्ट इंकार किया। अभियोजन इनसे की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं ला सका, जिससे अभियोजन केस को किसी प्रकार की कोई सहायता अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में मिल पाती।

25. अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू08 कैलाश** को परीक्षित कराया गया है, जो कथित घटना का प्रत्यक्ष दर्शी गवाह बताया गया है। जिसने अपनी मुख्य पृच्छा में कथन किया है कि ''***दिनांक 22.06.15 को मैं अपने घर पर था और मेरे घर से कुछ दूर पर शिव मंदिर पर भागवत के बाद भंडारा चल रहा था, मैं भी इस भण्डारे में गया था, तो तभी कुछ लोगों में झगडा हो गया और फायर हो गया तथा मारपीट हो गयी, मैं जब तक झगडो वाली जगह पहुॅचा, तो मुल्जिमान भाग गये तथा वहॉ मौजूद लोगों ने मुझे बताया कि मारपीट करने वाले नेमसिंह, क्षेत्रपाल, जयवीर, व बृजराज थे।***'' इसकी उपरोक्त साक्ष्य के सापेक्ष इसने अपनी मुख्य पृच्छा में केवल यह कहा है कि कुछ लोगों का झगडा हो गया था, परन्तु इसने यह नहीं कहा है कि उसने अभियुक्तगण द्वारा वादी आदि के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग करते हुए देखा हो, इसने स्पष्ट कहा है कि वह जब तक झगडे वाली जगह पहुॅचा, तो

मुल्जिमान भाग गये, इसको अभियुक्तगण के संबंध में वहॉ मौजूद लोगों द्वारा बताया गया था, अर्थात इसने स्वयं मौके पर अभियुक्तगण को नहीं देखा और यह बाद में मौके पर पहुॅचा था, जब तक झगडा करने वाले वहॉ से जा चुके थे। इसने अपनी जिरह में स्पष्ट बयान दिया है कि ''***यह कहना सही है कि मैनें क्षेत्रपाल, नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर व बृजराज को फायर करते हुए नहीं देखा था ना ही मेरे सामने इन्होने किसी की मारपीट की थी ना गाली दी थी, न जान से मारने के लिए फायर किया था।***'' इस प्रकार इसकी जिरह की साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि इसने अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित करते हुए मौके पर नहीं देखा है। इस प्रकार इसकी साक्ष्य से भी अभियोजन केस अभियुक्तगण के विरूद्ध कतई साबित नहीं होता है।

26. इस प्रकार अभियेाजन की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए जो आठ तथ्य के गवाहान परीक्षित कराये गये हैं, उनकी साक्ष्य से अभियोजन केस का समर्थन नहीं होता है और न ही अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का साबित होना ही परिलक्षित होता है।

27. **पी0डब्लू09 डा0 एन0 एस0 तौमर है,** जिन्होने चुटेलों का चिकित्सीय परीक्षण कर उनके संबंध में इंजरी रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना तस्दीक किया है। इसके द्वारा तैयार इंजरी रिपोर्ट्स पर क्रमशः **प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–9** अंकित किया गया। यह एक औपचारिक साक्षी है, इसकी साक्ष्य से केवल चुटेलों के शरीरपर चोटों का आना साबित होता है, परन्तु यह साबित नहीं होता है कि उक्त चोटे अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किये जाने पर आयी हो। इस प्रकार तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य के सापेक्ष इस औपचारिक साक्षी की साक्ष्य की कोई विशेष एहमियत नहीं

रह जाती है।

28. **पी0डब्लू0 10 का0 दिनेश कुमार** जो कि पेरोकार थाना निधौलीकलॉ है, यह एक औपचारिक साक्षी है, जिसने इस प्रकरण के चिक लेखक गैंदालाल के लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए द्वितीयक साक्ष्य से चिक रिपोर्ट **प्रदर्श क–10** व जी0डी0 मुकदमा कायमी **प्रदर्श क–11** को साबित किया है।

29. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोपो को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है तदनुसार अभियुक्तगण **नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर उर्फ कल्लू** व **बृजराज** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत **धारा 147,148,307 / 149,323 / 149,324 / 149,504** एंव **506 भा0दं0सं0** से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **नेमसिंह, जयवीर, किशनवीर उर्फ कल्लू** तथा **बृजराज** को **धारा 147,148,307 / 149,323 / 149,324 / 149,504** एंव **506 भा0दं0सं0** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से **दोषमुक्त किया जाता है**। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके स्वीय बंधपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जातें है तथा प्रतिभूओ को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 437ए के अनुपालन में दाखिल किये गये जमानतनामें व बंधपत्र विहित अवधि तक नियमानुसार प्रभावी

रहेंगे।

दिनांकः 22.02.2019 **(रमेश)**
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं04, एटा.

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांकः 22.02.2019 **(रमेश)**
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं04,एटा.